विषय सूचि

क्र.सं.	विवरण	पृ. सं.
1	प्रशासनिक संरचना	1
2	विभाग की प्रमुख गतिविधियॉ	1
3	विभाग की प्राथमिकताएँ	3
4	प्रमुख समस्यायें एवं बाधायें तथा उनके समाधान हेतु सुझाव	11
5	*बारहवीं विधानसभा के षष्टम सत्र् में उठाये जा सकने वाले विभाग से संबंधित संभावित बिन्दुओं का विवरण*	14
6	माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण 2006–07 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति का विवरण	19

<u>*राजस्थान–सरकार*</u>
<u>*पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर*</u>

1. <u>*प्रशासनिक संरचनाः–*</u>

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान का मुख्यालय अजमेर में कर–भवन में स्थित है। मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के अलावा अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं पदेन अधीक्षक (मुद्रांक), मुख्य लेखाधिकारी, उप विधि परामर्शी, सहायक विधि परामर्शी व प्रोगामर के पद के पद सृजित हैं। विभाग में छः आन्तरिक लेखा जॉच दल गठित हैं। जिनके प्रभारी सहायक लेखाधिकारी स्तर के अधिकारी हैं। विभाग में महानिरीक्षक पद पर श्री अतुल शर्मा एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद पर एवं पदेन अधीक्षक (मुद्रांक) के पद पर श्री हनुमान सिंह भाटी कार्यरत हैं।

विभाग के अधीन 13 वृत कार्यालयों में उपमहानिरीक्षक एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित हैं। विभाग में 67 पद पूर्णकालीन विभागीय उप पंजीयकों के हैं तथा शेष 289 कार्यालयों में तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार पदेन उप पंजीयक के रूप में कार्य करते है।

2. <u>*विभाग की प्रमुख गतिविधियॉ*</u> :–

(i) <u>***जनता को दस्तावेज पंजीयन करके लौटाने की सेवा उपलब्ध करानाः–***</u> यह विभाग रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व उसके तहत बने हुए राजस्थान पंजीयन नियम–1955 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजो को पंजीयन करने की सेवा जनता को प्रदान करता है।

(ii) <u>***पंजीयन रेकार्ड दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने का दायित्वः–***</u> विभाग के अधीन कार्यरत उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीबद्ध दस्तावेज दीर्घकाल तक सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने का दायित्व भी इस विभाग का है तथा पंजीयन रेकार्ड का निरीक्षण करवाने व प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की सेवा भी जनता को प्रदान की जाती है।

(iii) ***राजस्व का अर्जन एवं करापवंचन पर अंकुश लगाने का दायित्वः–*** मुद्रांक अधिनियम 1899 एवं उसके अन्तर्गत बने हुए राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 के तहत विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों के निष्पादन पर स्टेम्प शुल्क देय है जो सरकार की राजस्व का एक स्त्रोत है। दस्तावेज पर नियमानुसार स्टेम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क वसूल करके सरकार का राजस्व अर्जित करने

तथा स्टेम्प शुल्क करापवंचन पर अंकुश लगाने का महत्वपूर्ण कार्य इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(iv) ***स्टेम्प आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्थाः–*** स्टेम्प एक्ट के तहत स्टेम्प शुल्क का भुगतान स्टेम्प पेपर के रूप में किया जाता है इसके लिए इम्प्रेस्ड स्टेम्प व एडेसिव स्टेम्प नासिक प्रेस से प्रिन्ट करवाकर को ाालयों के माध्यम से स्टेम्प वेण्डर्स व जनता को उपलब्ध कराने का कार्य भी विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जाता है। कोर्टफीस के स्टेम्प भी विभाग द्वारा ही नासिक प्रेस से प्रिन्ट करवाकर स्टेम्प वेण्डर्स के माध्यम से वितरण किये जाते है।

(v) ***प्रशासनिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्यः–*** राज्य के समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालयों पर प्रशासनिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की शक्तियॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 के तहत महानिरीक्षक में निहित है। उक्त शक्तियों के अन्तर्गत ही इन कार्यालयों को पंजीयन कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने एवं निरीक्षण का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

3. ***विभाग की प्राथमिकतायें*** :–

(i) ***पंजीयन प्रक्रिया को आधुनिक, सरल तथा पारदर्शी बनाने की योजना –''सारथी'':–***

दस्तावेजों के पंजीयन की प्रकिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा पंजीयन में लगने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त कर जन साधारण को राहत पहॅुचाने के उद्देश्य हेतु ''सारथी योजना'' तैयार की गई है।

(ए) उददेश्य :–

(क) पंजीयन प्रक्रिया को आधुनिक बनाना।
(ख) पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना।
(ग) दस्तावेजों के पंजीयन में विलम्ब को समाप्त करना।
(घ) पंजीयन अधिकारी के स्वविवेकाधिकारों (Discretionary Power) को सीमित करना।
(ड.) पंजीयन रिकार्ड धरोहर के रूप में दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना।
(च) करापंवचन पर अंकुश लगाना आदि।

(बी) व्यवस्था :–

(क) दस्तावेज कम्प्यूटर के माध्यम से पंजीबद्ध करने की व्यवस्था।

(ख) पंजीयन रिकार्ड दीर्धकाल तक सुरक्षित रखने के लिये स्केनिग की व्यवस्था।

(ग) समस्त सम्पत्तियों का सर्वे करवा कर जी.आई.एस. तथा वैल्यू जोन्स बनाकर बिना मौका निरीक्षण किये दस्तावेज 25 मिनट में पंजीबद्ध करके लौटाने की व्यवस्था

(घ) पूर्ण दस्तावेज ही पंजीयन हेतु स्वीकार करने की व्यवस्था।

(ड.) स्टेम्प ड्यूटी फ्रेंकिग मशीन के द्वारा फ्रेंक करने की व्यवस्था।

(च) समस्त सम्भागीय मुख्यालयों पर बी.ओ.टी. के आधार पर जी.आई.एस. तैयार करवाने एवं कम्प्यूटरीकरण करवाने की व्यवस्था।

(सी) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित "सारथी योजना" का संशोधित स्वरूप :—

विभाग द्वारा प्रस्तावित सारथी योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात यह पाया गया कि GIS तैयार करने में काफी विलम्ब होने की संभावना है। इसलिए उक्त योजना को निम्नानुसार लागू करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैः—

(क) समस्त पंजीयन कार्यालयों में 30 प्रकार के दस्तावेज 25 मिनिट में तथा 10 प्रकार के दस्तावेज, जिनमें मौका देखना अनिवार्य है, 24 घण्टे में लौटाने की व्यवस्था की जाए तथा मौका निरीक्षण में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए सेवानिवृत अधिकारियों का पैनल तैयार करके उनसे मौका निरीक्षण करवाया जाए।

(ख) राज्य के समस्त 67 पूर्णकालीन पंजीयन कार्यालयों में किराया अनुबन्ध के आधार पर दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया कम्प्यूटर के माध्यम से प्रारम्भ की जाए।

(ग) समस्त संभाग मुख्यालयों पर डेटा बेस सर्वे कराने का कार्य निदेशक, सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग तथा अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चरल डवलप्मेंट परियोजना (UIDP) के माध्यम से सम्पन्न करवाया जाए।

(घ) संभाग मुख्यालयों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वैल्यू जोन्स के आधार पर बिना मौका देखे दस्तावेजों का पंजीयन किया जाए।

(डी) योजना की क्रियान्विति हेतु विभाग द्वारा उठाये गये कदम :–

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना को लागू करने के लिए विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गयेः–

(क) विभाग के परिपत्र संख्या 20/2002 दिनांक 19.12.02 के द्वारा दस्तावेजों के साथ पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चैक लिस्ट का प्रारूप पंजीयन अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया।

(ख) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.12.02 के द्वारा समस्त पूर्णकालीन पंजीयन कार्यालयों में किराया अनुबन्ध पर कम्प्यूटर उपकरण एवं ऑपरेटर लेने की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये।

(इ) कार्य योजना एवं प्रगति :–

(क) समस्त 67 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज कम्प्यूटर के माध्यम से पंजीयन करने प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

(ख) राज्य के समस्त पंजीयन कार्यालयों में पूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है चैक लिस्ट का प्रारूप निर्धारित कर दिया गया है।

(ग) UIDP के माध्यम से प्रमुख शहरों का सर्वे करवाकर जी.आई.एस. तैयार करवाने का कार्य करवाया जाना है तथा अन्य स्थानों के लिए वैल्यू जोन्स बनाने के निर्देश विभाग द्वारा दिये जा रहे है।

(घ) राज्य के 67 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों के अलावा शेष 289 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में भी कम्प्यूटर उपकरणों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन करने हेतु राज्य सरकार एवं राजस्व मंडल से निवेदन किया गया है।

(एफ) भविष्य की कार्य योजना :–

(क) जी.आई.एस. एवं वैल्यू जोन्स बनाने का कार्य पूर्ण होने पर सम्पत्ति का मौका निरीक्षण बन्द कर दिया जाएगा।

(ख) समस्त दस्तावेज 25 मिनट में पंजीबद्ध करके लौटाना सम्भव हो सकेगा।

(ग) 289 तहसीलों एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण जिला प्रशासन के माध्यम से स्त्त योजना के तहत प्रारम्भ करवाने की व्यवस्था की जावेगी।

(घ) दस्तावेज पर देय स्टेम्प शुल्क की राशि का फ्रेकिंग मशीन द्वारा फ्रेंक करने की सुविधा के अन्तर्गत 5 बैकों को मशीन हेतु लाइसेंस जारी किये गये।

(च) दस्तावेज पर देय स्टेम्प ड्यूटी लोक मित्र या अन्य निर्धारित स्थान पर जमा कराने की सुविधा।

(छ) प्रचलित बाजार दरों को इन्टरनेट पर, प्रमुख स्थानों पर स्क्रीन पर प्रदर्शन द्वारा आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा।

(ज) विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित दरों की सूचना समस्त साइबर कैफे एवं कियोस्क पर उपलब्ध कराने की सुविधा।

(जी) <u>'सारथी योजना' के तहत पंजीयन प्रक्रिया का रेखांकनः–</u>

दस्तावेज प्रस्तुतीकरण

↓

पंजीयन अधिकारी द्वारा चैक लिस्ट की जांच

↓

कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा तथ्यों का इन्द्राज

↓

कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट जरनेट करना ⟶ राशि जमा नही

होने पर बिना पष्ठांकन के दस्तावेज आक्षेप पर्ची के साथ लौटाना।

राशि जमा होने पर पृष्ठांकन जनरेट करना

↓

यदि मौका निरीक्षण अपेक्षित नहीं हो तो दस्तावेज पंजीबद्ध करके स्केनिंग के बाद लौटाना

यदि मौका निरीक्षण करवाना है तो मौका निरीक्षण हेतु पैण्डिग रखना

↓

मौका निरीक्षण रिपोर्ट आने पर पुनः कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट जरनेट करना।

↓

अन्तर राशि जमा होने पर दस्तावेज का पंजीयन व स्केनिंग करके लौटाना

अन्तर राशि जमा नहीं होने पर धारा 47 डी का नोटिस जनरेट करना तथा राशि जमा नहीं कराने पर रेफ्रेन्स बनाकर कलक्टर मुद्रांक को भेजना।

(एच) <u>जनता को लाभ</u> :–

(क) दस्तावेज तत्काल पंजीयन करवाने की सुविधा।
(ख) पंजीयन रिकार्ड के निरीक्षण की सुविधा।
(ग) प्रमाणित प्रति प्राप्त करना अधिक सरल।
(घ) मौका निरीक्षण करवाने से छुटकारा।
(ङ.) देय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की पूर्ण जानकारी की सुविधा।
(च) निर्धारित प्रपत्र पर दस्तावेज निष्पादित करके बिना किसी बिचोलियों के पंजीयन करवाने की सुविधा।

(आई) <u>पंजीयन अधिकारियों व कर्मचारियों को सुविधायें</u>:–

(क) कई प्रकार की पुस्तकों के समय पर संधारण के कार्य से मुक्ति।

(ख) स्टेम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की गणना एवं फलावट की सुविधा।
(ग) कम्प्यूटर से तत्काल सूचना उपलब्ध होने के कारण निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार करने के कार्य से छुटकारा।
(घ) दस्तावेज पंजीयन के साथ ही कम्प्यूटर द्वारा समस्त प्रकार का रिकार्ड तैयार हो जाने के कारण कार्यभार से मुक्ति।
(ड.) राजस्व हानि की संभावना लगभग समाप्त।
(च) मौका निरीक्षण के कार्य से छुटकारा।

(जे) सरकार को लाभ :–

(क) कार्यभार के आधार पर स्टॉफ बढ़ाने की आवश्यकता समाप्त।
(ख) जनता के 'न्यासी' के रूप में पंजीयन रिकार्ड को सुरक्षित रखने के दायित्व की पूर्ति संभव।
(ग) राजस्व हानि एवं करापवंचन पर अंकुश लगाने से आय में वृद्वि।
(घ) प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के दायित्व की पूर्ति।
(ड.) अनुचित दबाव व साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाने से जनता में स्वच्छ छवि बनाने में सहायक।

(ii) ***राज्य सरकार द्वारा द्वारा आंवटित राजस्व लक्ष्यों का अर्जनः–*** राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो राजस्व लक्ष्य विभाग को आवंटित किये जाते है उनकी प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य किये जाते है।

(क) करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण, सर्वे एवं अंकेक्षण का कार्य विभाग द्वारा किये जाते है।
(ख) भूमि की दरों का निर्धारण करवाना।
(ग) स्टेम्प प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं बकाया वसूली हेतु विशेष राहत योजना राज्य सराकर से स्वीकृत करवाकर राजस्व प्राप्ति करना।

(iii) ***राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 को लागू करवानाः–*** वर्ष 1998 में राज्य विधान मण्डल द्वारा राज्य के लिए अलग कानून बनाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 पारित किया गया था, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त कर ली गई है, किन्तु अभी लागू नहीं किया गया है। एक्ट में वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों में जो कमियॉ विद्यमान है उन्हें दूर किया गया है, राजस्व के नये स्त्रोत्र शामिल किये गये है, करापंवचन के मामलों में दण्डात्मक प्रावधानों को कठोर बनाया गया है तथा विद्यमान विसंगतियों को दूर किया गया है। उक्त एक्ट लागू होने पर सरकार के राजस्व में वृद्धि होने एवं करावंचन पर अंकुश

लगने की पूर्ण सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए विभाग इसे शीघ्र लागू करवाने का प्रयास करेगा।

(iv) ***स्टेम्प पेपर के उपयोग के वैकल्पिक उपाय लागू करना:–*** नकली एवं फर्जी स्टेम्प की आशंका, नासिक प्रेस से अपर्याप्त सप्लाई आदि समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में फ्रेकिंग मशीनों के उपयोग की व्यवस्था, स्टेम्प शुल्क नकद अथवा ट्रेजरी चालान या बैंक ड्राफ्ट से लेने का प्रावधान करवाने के लिए विभाग के प्रस्ताव राज्य सरकार से मंजूर करवाया गया तथा फ्रेक्रिंग मशीन हेतु 20 बैकों को लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(v) ***पंजीयन रिकार्ड को दीर्घकाल तक सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने की व्यवस्था:–*** जिन कार्यालयों में पंजीयन कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित हो रहा है वहॉ रजिस्ट्रेशन के साथ ही दस्तावेज की स्केनिंग करके सी.डी. तैयार करने की व्यवस्था है, अभी केवल 67 पूर्णकालीन कार्यालयों में ही कम्प्यूटरीकरण किया गया है शेष 289 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं स्केनिंग की व्यवस्था करना तथा पुराने पंजीयन रेकार्ड को सुरक्षित रखने हेतु विस्तृत योजना बनाकर सरकार से मंजूर करवाने का प्रस्ताव है।

(vi) ***संस्थागत दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु प्रयास:–*** राजस्थान आवासन मण्डल, जे.डी.ए., नगर विकास न्यास, नगर पालिकाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आंवटित/विक्रित अचल सम्पत्ति के दस्तावेज अभी भी काफी संख्या में पंजीयन से शेष है इनका पंजीयन शीघ्र करवाने हेतु सरकार से निर्देश जारी करवाने तथा पंजीयन शिविर आयोजित करके मौके पर ही पंजीयन करके लौटाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(vii) ***संशाधनों के विकास एवं आधुनिक व्यवस्था हेतु विकास को I की स्थापना करवाना:–*** पंजीयन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित सुविधायें जुटाने एवं जन सामान्य को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए आधारभूत सुविधाओं एवं विकास के लिए ''पंजीयन विकास/निगमित कोष की स्थापना के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(viii) ***जनता की सुविधा हेतु अन्य विविध उपाय:–***

(क) विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के प्रपत्र निर्धारित करके उनका प्रकाशन करवाना।

(ख) जनता द्वारा चैक लिस्ट में उपलब्ध करवायी गयी सूचना के आधार पर स्टेण्डर्ड प्रपत्र से दस्तावेज तैयार करके पंजीबद्ध करना।

(ग) भूमि की दरों का सरलीकरण एवं पारदर्शी बनाने के लिये इन्टरनेट पर उपलब्ध करवाना तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्क्रिन पर प्रदर्शित करवाने की व्यवस्था करवाने का प्रस्ताव है।

4. *प्रमुख समस्यायें एवं बाधायें तथा उनके समाधान हेतु सुझाव* :—

क्र. सं.	*प्रमुख समस्यायें एवं बाधायें*	*समाधान हेतु सुझाव*
1.	***प्रशासनिक एवं समन्वय सम्बन्धित*** ***(क) उपपंजीयकों पर प्रभावी नियंत्रण का अभावः—*** वर्तमान में 67 पूर्णकालीन उप पंजीयक एवं 289 पदेन उप पंजीयक, तहसीलदार सेवा के अधिकारी है, जिनकी नियुक्ति, पदस्थापन व स्थानान्तरण का अधिकार राजस्व मण्डल को प्राप्त है, जिसकी वजह से विभाग का प्रभावी नियंत्रण उन पर नहीं है।	(क) राज्य में पूर्णकालीन उप पंजीयकों का अलग केडर विभाग के अधीन बनाया जावे। अथवा पूर्णकालीन उप पंजीयकों के पदस्थापन व ट्रांसफर का अधिकार विभाग को दिये जावे जैसे सेटलमेन्ट व उपनिवेशन विभाग के तहसीलदार पदस्थापन हेतु उपलब्ध करवाये जाते है उसी तरह विभाग को उपलब्ध करवाये जा सकते है।
	(ख) पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में विभागीय कर्मचारी नहीं होनाः— राज्य के 289 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य के लिए विभाग का कोई कर्मचारी नहीं है। कलक्ट्रेट का कर्मचारी ही पंजीयन का कार्य करता है। जो विभाग के परिपत्रों एवं नियमों से अनभिज्ञ होता है। कम्प्यूटरीकरण की योजना लागू करने के लिए प्रशिक्षित	(ख) राज्य के पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन लिपिक विभाग का हो अथवा विभाग को प्रतिनियुक्ति पर आंवटित कर्मचारी को ही वहॉ पदस्थापित किया जावे।

	एवं जानकार कार्मिक का होना आवश्यक है ताकि करापवंचन नहीं हो। *(ग) आधारभूत सुविधाओं का अभावः—* पंजीयन कार्यालयों में टेलीफोन, पर्याप्त फर्नीचर, फोटो स्टेट मशीन आदि की व्यवस्था नहीं होने से जनता को अपेक्षित सुविधायें देना संभव नहीं है। *(घ) पर्याप्त तकनीकी स्टाफ का अभावः—* विभाग में 67 पूर्णकालीन एवं 289 पदेन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण की सफल क्रियान्विति हेतु पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी/ अधिकारी उपलब्ध करवाना आवश्यक है। वर्तमान में विभाग निदेशक सूचना, संचार एवं प्रोद्योगिकी विभाग पर पूर्णतया निर्भर है।	(ग) इसके लिए पर्याप्त बजट विभाग को दिया जावे अथवा विभाग द्वारा प्रस्तावित विकास कोष की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूर किया जावे। (घ) सभी संभाग मुख्यालयों पर विभाग के अधीन ए.सी.पी. का पद स्वीकृत हो।
2.	***दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया से सम्बन्धितः—*** *(क) सम्पत्ति का मौका निरीक्षण से पंजीयन में विलम्बः—* दस्तावेज में तथ्य गलत बताकर या तथ्य छिपाकर करापंवचन करने की आशंका के कारण अचल सम्पत्ति के स्वामित्व हस्तान्तरण के दस्तावेजों में मौका निरीक्षण अनिवार्य है जिसकी वजह से पंजीयन में विलम्ब होता है तथा जनता को परेशानी होती है। *(ख) तकनीकी स्टाफ की कमीः—* वर्तमान में जिन कार्यालयों में किराये पर कम्प्यूटर ऑपरेटर लेकर पंजीयन कार्य करवाया जा रहा है वहॉ कार्य सुचारू रूप से हो रहा है, यह व्यवस्था राज्य के सभी कार्यालयों में करने का प्रस्ताव है इससे पंजीयन कार्य में त्रुटि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने में दिक्कत है, क्योंकि ऑपरेटर पर विभाग का नियंत्रण नहीं तथा ठेकेदार द्वारा आये दिन बदलते रहने से कार्य बिगडने की संभावना रहती है।	(क) संभाग मुख्यालयों पर जी.आई.एस. एवं अन्य स्थानों पर वैल्यू जोन्स बनाने के लिए विभाग को पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जावे अथवा इसके लिए जिला कलक्टर्स को उत्तरदायी बनाया जावे। सम्पत्ति का फोटो (सामने व साइड का) दस्तावेज के साथ लेना अनिवार्य किया जावे। (ख)विभाग के कर्मचारियों को कम्प्यूटर से पंजीयन का प्रशिक्षण नियमित रूप से देने तथा तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करवाये जावें।

3.	***<u>जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में:–</u>***	
	(क) जिला स्तरीय समिति द्वारा दरें तय करने का समय निर्धारित नहीं है, बैठकें समय पर नहीं हो पाती है, इससे राजस्व की हानि होती है।	(क) जिला स्तरीय समिति के लिए समय सारणी तय हो जिससे प्रत्येक वर्ष फरवरी तक दरों के प्रस्ताव तैयार करने में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन एवं 1, अप्रैल से प्रभावी होना अनिवार्य किया जावे।
	(ख) प्रत्येक क्षेत्र में भूमि की वास्तविक दरों का आंकलन करने की कोई एजेन्सी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं कम तथा कहीं अधिक दरें तय हो जाती है दोनों ही स्थितियॉ राजस्व हानि के लिए उत्तरदायी है।	(ख) प्रत्येक क्षेत्र में भूमि की दरों का सर्वे करके प्रस्ताव तैयार करने हेतु राजस्व व तकनीकी विशेषज्ञों की समिति प्रत्येक जिला कलक्टर स्तर पर बनाई जावे।
4.	***<u>स्टेम्प की आपूर्ति एवं वितरण से सम्बन्धित:–</u>***	
	(क) वर्तमान में स्टेम्प नासिक प्रेस से प्रिन्ट करवाये जाते है जहॉ से विभाग की मांग के अनुसार पर्याप्त स्टेम्प की आपूर्ति नहीं होती है।	(क) नासिक प्रेस से स्टेम्प प्रिन्ट करवाना बन्द करके नकद / चालान / बैंक ड्राफ्ट से स्टेम्प शुल्क लेने की व्यवस्था हो।
	(ख) प्रेषित मांग के अनुरूप स्टेम्प प्राप्त नहीं होते है।	(ख) फ्रेकिंग मशीन के उपयोग की व्यवस्था प्रारम्भ की गई।
	(ग) स्टेम्प वेण्डर्स व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पर्याप्त प्रावधानों का अभाव	(ग) स्टेम्प वेण्डर्स द्वारा नियमों का उल्लघंन करने की सूचना के आधार पर सर्च व सीजर का अधिकार कलक्टर (मुद्रांक) को दिया जावे।

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
''कर–भवन'', अजमेर

क्रमांकः एफ–7(55)जन/06/ दिनांकः

शासन सचिव (द्वितीय)
वित्त विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– बारहवीं विधानसभा के षष्टम सत्र में उठाये जा सकने वाले विभाग से संबंधित बिन्दुओं का विवरण।
प्रसंग :– आपका पत्रांक प.17(2)वित्त/समन्वय/06 दिनांक 13.9.06

———————

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में बारहवीं विधानसभा के षष्टम सत्र में उठाये जा सकने वाले विभाग से संबंधित बिन्दुओं का विस्तृत विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

बारहवीं विधानसभा के षष्टम सत्र में उठाये जा सकने वाले विभाग से संबंधित संभावित बिन्दुओं का विवरण

1. *महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के क्रियान्वयन के प्रगति की सूचना :–*

महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में विभाग से संबंधित कोई बिन्दु नहीं है।

2. *बजट सत्र 2006–07 की घोषणाओं की क्रियान्विति की सूचना :–*

- *बजट सत्र 2006–07 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति :–* बजट सत्र 2006–07 में की गई घोषणाओं में बिन्दु संख्या–176, 177 एवं 179 विभाग से संबंधित है, जिनकी क्रियान्विति का विस्तृत विवरण परिशिष्ट –1 में अंकित है।
- *वर्ष 2005–06 की बजट घोषणाओ की क्रियान्विति :–* वर्ष 2005–06 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति शेष नहीं है।

3. *माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा समय–समय पर की गई अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति की स्थिति :–* माननीया मुख्यमंत्री द्वारा विभाग से संबंधित अन्य कोई घोषणा नहीं की गई है।

4. *विभाग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं समसामयिक बिन्दुओं/विषयों से संबंधित :–*

राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 58 के तहत भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण नियम 2 (इ) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित दर अथवा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दर में से उच्चतर दर के आधार पर दस्तावेजों का मूल्यांकन अचल सम्पत्ति के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ करने का प्रावधान है। जिला स्तरीय समिति में सम्बंधित जिला कलेक्टर अध्यक्ष एवं सम्बंधित जिले के जनप्रतिनिधिगण सदस्य होते हैं।

जिला स्तरीय समिति की बैठक समय पर नहीं होने की स्थिति में राजस्व आय की हानि होती है क्योंकि भूमि की प्रचलित दरें बाजार दरों के अनुरूप संशोधित नहीं हो पाती है इस कारण से राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत वृताधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय स्तर पर भूमि दरों में संशोधन किया जाता रहा है किन्तु जिला स्तरीय समिति में इस पर आपत्ति उठाई जाती है एक वर्ष से अधिक समय होने पर भी अब तक कुछ जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है जिसके लिये विभाग द्वारा समय समय पर उनको लिखा जाता रहा है।

5. *विभाग द्वारा राज्य स्तर पर किये गये अभिनव प्रयोग :–*

- *8–चरणीय पंजीयन :–* विभाग द्वारा अचल सम्पत्ति के विभिन्न दस्तावेजों की पंजीयन प्रणाली को जन साधारण के लिए स्पष्ट, पारदर्शी एंव तवरित करने के उद्वेश्य से 8–चरणीय प्रणाली लागू की

गई है। इस प्रणाली में सम्बन्धित पक्षकार द्वारा दस्तावेज पंजीयन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से प्रारम्भ हो कर पंजीयन पश्चात दस्तावेज सम्बन्धित पक्षकार को तुरन्त लौटाये जाने की व्यवस्था सम्मिलित है। प्रत्येक चरण भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 एवं राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 की किस धारा एवं किस नियम के अन्तर्गत आवश्यक है इसका भी उल्लेख 8 चरणीय व्यवस्था में दिया गया है। यह इस कारण से स्पष्ट किया गया है ताकि जनसाधारण को एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी यह सुस्पष्ट रहे कि अमुक दस्तावेज/प्रक्रिया क्यों आवश्यक है।

- ***ANY WHERE REGISTRATION*** :– जयपुर शहर में ''कहीं भी पंजीयन'' (Any where registration) की योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत जयपुर में स्थित 8 उप पंजीयक कार्यालयों सहित सांागानेर एवं आमेर से संबंधित सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन किसी भी कार्यालय में करवाया जा सकता है। इस व्यवस्था से आम जनता को बहुत सुविधा रही है। अब उन्हे जहां सम्पति अवस्थित है, वही के उप पंजीयक कार्यालय में जाने की आवश्यकता नही है अपुति जहां क्रेता रहता है वही नजदीकी उप पंजीयक कार्यालय में जाकर पंजीयन करवाया जा सकता है।
- ***दस्तावेजों के प्रारूप*** :– विभाग द्वारा 34 प्रकार के दस्तावेजों के प्रारूपों का अनुमोदन राज्य सरकार से करवाकर उन्हें पुस्तक रूप में छपवाकर 20/–रूपये के विक्रय मूल्य पर आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया गया है व इन्हें विभाग की वैबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। इस व्यवस्था के कारण आम व्यक्ति मध्यस्थों के माध्यम से दस्तावेज लिखवाने की बजाय दिए गये प्रारूपों के अनुसार दस्तावेज तैयार कर सीधे उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- ***स्टाम्प फ्रेकिंग व्यवस्था*** :– राज्य में दिनांक 27.5.04 से प्रभावी राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 तथा दिनांक 11.6.04 से प्रभावी राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के अन्तर्गत स्टेम्प शुल्क के लिये फ्रेकिंग मशीनों के उपयोग का प्रावधान किया गया है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के तहत विभिन्न दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान स्टाम्प पेपर या स्टाम्प टिकट से करने के स्थान पर नकद राशि बैंक में जमा करवा कर उस राशि के स्टाम्प फ्रैक (मशीन द्वारा मुद्रण) करवाने की नयी व्यवस्था राज्य में लागू की गई है।

उक्त व्यवस्था से लाभ :–

1. नकली व फर्जी स्टाम्प विक्रय की आशंका समाप्त।

2. स्टाम्प पेपर की कमी या अनुपलब्धता की स्थिति समाप्त।
3. स्टाम्प शुल्क की राशि लाने–ले–जाने की सुरक्षा।
4. पूर्व तिथि में स्टाम्प विक्रय पर अंकुश।
5. स्टाम्प पर अंकित राशि से अधिक राशि लेने की शिकायत समाप्त।
6. विभाग को स्टाम्प पेपर प्रिन्ट करवाकर मंगवाने के व्यय में कमी।
7. चैक से राशि जमा करवाकर बैंक से स्टाम्प फ्रैक (मुद्रित) करवाने की सुविधा।

- ***सम्पत्ति पंजीयन में निरीक्षण व्यवस्था की समाप्ति*** :– पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से 25 लाख रुपए तक अचल सम्पति के रजिस्ट्रेशन से पूर्व मौका निरीक्षण व्यवस्था समाप्त की गई है ताकि रजिस्ट्रेशन शीघ्र हो सके एवं रजिस्ट्रेशन से पूर्व मौका देखने के कारण दस्तावेज लम्बित नही रहे। रजिस्ट्रेशन के पश्चात् रेण्डम व्यवस्था के आधार पर ही मौका देखने की व्यवस्था लागू की गई हैं। 25 लाख रूपये से अधिक की मालियत के मामलों में पंजीयन के पश्चात् सभी मामलों में मौका देखने की व्यवस्था लागू की गई है।

- ***मुद्रांक शुन्क की दरों में कमी*** :– स्टाम्प शुल्क की सामान्य दर 11 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत की गई है एवं महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि के पंजीयन पर यह दर 5 प्रतिशत की गई है।

6. *विशेष प्रगति* :–

- ***आय एवं दस्तावेजो की संख्या में वृद्वि :–*** गत वर्ष विभाग को आवंटित लक्ष्य 1000 करोड़ के विपरीत 1031.53 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया जो आवंटित लक्ष्य का 103.15 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 1200/–करोड रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसके विपरीत अगस्त 2006 तक 526.64 करोड की आय अर्जित की गई है जो आवंटित लक्ष्य का 43.89 प्रतिशत है। गत वर्ष अगस्त, 05 तक अर्जित आय के मुकाबले वृद्धि दर 31.88 प्रतिशत रही है। गत वर्ष अगस्त, 05 तक कुल दस्तावेज 3,41,054 पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुए थे जिसके मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में 3,99,484 दस्तावेज पंजीयन हेत प्रस्तुत हुए हैं जो गत वर्ष के मुकाबले 41,571 अधिक हैं।

- ***महिलाओं को सम्पति के अधिकार*** :– अधिसूचना दिनांक 14.1.04 के तहत महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में 50% की रियायत दी गई। अर्थात् 11% के स्थान पर 5.5% लेने का प्रावधान किया गया। अधिसूचना दिनांक 31.3.06 के द्वारा 5.5% के स्थान पर 5% स्टाम्प शुल्क लेने की रियायत दी गई। उक्त रियायत के फलस्वरूप जनवरी, 2004 से अगस्त, 2006 तक महिलाओं के पक्ष में कुल 3. 31.741 दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश हुए। जिसमें कुल 190.47 करोड़ रूपये स्टाम्प शुल्क की रियायत प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त रियायत के फलस्वरूप महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति अधिक मजबूत हुई है।

7. ***<u>लम्बित तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तर की स्थिति</u> :-*** विभाग से संबंधित तारांकित/अतारांकित प्रशनों का उत्तर दिया जाना शेष नही है।

8. ***<u>विभाग से संबंधित सत्रवार आश्वासनों की क्रियान्विति की सूचना</u> :-*** विभाग से संबंधित सत्रवार दिये गये किसी आशवासन की क्रियान्विति शेष नही है।

9. ***<u>सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनायें, अध्यादेश व विधेयक</u> :-*** सत्र के दौरान विभाग की ओर से कोई अधिसूचना, अध्यादेश एवं विधेयक नही हैं।

"परिशिष्ठ–1"

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण 2006–07 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति का विवरण :–

क्र. सं.	*बजट में की गई घोषणा*	*पालना रिपोर्ट*
1ण	176. समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दस्तकारों आदि को राहत प्रदान करने हेतु यह प्रसतावित है कि स्वयं सहायता समूहों एवं क्पििमतमदजपंस त्ंजम व्पिदजतमेज योजनाओं के ऋण संबंधी दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाये।	अधिसूचना क्रमांक एफ.12(14)वित्त/कर/2006–147 दि. 8.3.06 के द्वारा भारत सरकार की विभेदकारी ब्याज दर योजना (क्त्प्ण्) एवं राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वयं सहायता समूह योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने के प्रयोजन के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।
2ण	177. वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज तथा संबंद्ध संघों एवं व्यक्तियों द्वारा डिमेट खातों (इलेक्ट्रोनिक) के लेन–देन पर मुद्रांक शुल्क नहीं है, जबकि अब उक्त कारोबार डिमेट खातों से किया जाता है। इन खातों पर मुद्रांक शुल्क प्रत्यारोपित करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1958 में 'निष्पादन', 'हस्ताक्षरित', 'दस्तावेज' एवं 'सिक्यूरिटी' की परिभाषाओं में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।	राजस्थान वित्त विधेयक 2006 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा–2 में विद्यमान खण्ड (प) के पश्चात खण्ड (प क) नया जोड़कर 'ेवबपंजपवद) को परिभाषित किया गया है एवं (गपग) के नीचे नया स्पष्टीकरण जोड़कर सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 की धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में परिभाषित इलेक्ट्रोनिक अभिलेख को दस्तावेज में सम्मिलित किया गया है एवं धारा–11 के अनुसार इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के संकेतन (जजतपइनजपवद) को हस्ताक्षरित एवं हस्ताक्षर में सम्मिलित किया गया है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की परिभाषा खण्ड़ (गगगअप) में शामिल की गई है। राजस्थान वित्त विधेयक 2006 के द्वारा राजस्थन स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा–85 में संशोधन कर संगम 'ेवबपंजपवद) व स्टॉक एक्सचेंज को शामिल किया गया है ताकि उक्त कार्यालयों के यहॉ इलेक्टोनिक फारमेट में सिक्यूरिटी के संबंध में हुए क्रय–विक्रय के संव्यवहार पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की जांच की जा सके। राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की अनुसूची में नया आर्टिकल 5–ए जोड़कर सिक्यूरिटी के संव्यवहार इत्यादि से संबंधित इलेक्ट्रोनिक फारमेट में ऑन लाईन निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :–

		''5–क किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (1क) और (गगगअप) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित संव्यवहार का अभिलेख (इलैक्ट्रोनिक या अन्यथा)'',	
		(क) यदि सरकार प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रूपये या उसके भाग के लिए पचास रूपये।
		(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित होः–	
		(प) परिदान के मामले में	प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया।
		(पप) अपरिदान के मामले में	प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए बीस पैसा।
		(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो	प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिए बीस पैसा।
		(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गई वस्तुओं की अग्रिम संविदा से संबंधित हो	प्रत्येक 1,00,000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रूपया।

		अब तक 6,14,111/—रूपये की राशि जयपुर स्टॉक एक्सचेंज से वसूल की गई है। अन्य स्टॉक एक्सचेंज के विरूद्व विवरण प्राप्त करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखे गये हैं। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर को मुम्बई भेजा गया है उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर अन्य से वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। इस बाबत विस्तृत विवरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–7(97)जन/06/10067 दिनांक 12.6.06 के द्वारा प्रमुख ाासन सचिव, वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया है।
3ण	179. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य समान प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली बड़े भूखण्ड़धारी समाज के विकास और कल्याण के लिए योगदान करने में सक्षम है। मैं, वित्त विधेयक के माध्यम से एक नया भूमि कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूॅ जिससे कि इस विधेयक के दायरे में आने वाले भू–मालिकों पर यह कर लगाया जा सके। मैं यह भी बताना उचित समझती हूॅ कि कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है।	इस संबंध में राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 के अध्याय–टप्प् के अनुसार भूमि पर कर लगाये जाने हेतु अधिनियम बनाकर अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले भूमि कर नियम 2006 एवं राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 की धारा धारा–37 (2), धारा–39 व धारा–51 के अन्तर्गत की जाने वाली अधिसूचनाओं के प्रारूप सरकार को विभाग के पत्र क्रमांक एफ–7(95)जन/06/8229 दिनांक 1.5.06 के द्वारा राज्य सरकार को भिजवा दिये गये हैं जो विधि विभाग में अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं।